न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 532/2026

राजकुमार पुत्र राम सिंगार पाण्डेय निवासी वार्ड नम्बर 6, बुडनपुर पोस्ट मुबारकपुर थाना बाढ़ जिला पटना (बिहार)।

-प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफआईआर नं. 04/2026 साईबर थाना सवाई माधोपुर
धारा–319(2), 318(4), 336(3), 338(2), 340(2), 61(2)(b) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66C, 66D आईटी एक्ट

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	12.05.2026
अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड	-

उपस्थितः-

1. श्री राधेश्याम जोगी, श्री अक्षय राजावत, LADCS (विद्वान अधिवक्ता), प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 05.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार पुत्र राम सिंगार पाण्डेय का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 02.06.2026 से खारिज किए जाने पर उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रामहेत मीना ने पुलिस थाना साईबर क्राईम, सवाई माधोपुर पर रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि वह ग्राम सीनोली पुलिस थाना सूरवाल का मूल निवासी है तथा शिक्षित बेरोजगार है। घुडासी रोड जटवाडा खुर्द सवाई माधोपुर पर उसकी व उसके पार्टनर राकेश कुमार की ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट की दुकान है तथा वे उसी दुकान पर लोहे के सरिया भी रखकर व्यापार करना चाह रहे थे तो उन्होंने लोहे की

कामधेनु सरिया की डीलरसीप लेने के लिए दिनांक 18.02.2026 को गुगल पर सर्च किया। जहाँ से उन्हें मोबाइल नं० + 919508902757 मिले, जिस पर परिवादी ने अपने पार्टनर राकेश कुमार के मोबाइल नंबर + 919358022862 से कॉल लगाया जिस पर TRUECALLER पर Sariya manufacturing Plant All india Sels लिखा हुआ आया जिसको उन्होंने कहा कि वे लोहे की कामधेनु सरिया की डीलरसीप लेना चाहते है जिस पर उन्होंने कहा कि वह उनके मोबाइल नंबर ऐरिया सेल्स मैनेजर को देता है जो उनसे बात कर लेंगे। कॉल कटने के करीबन 2–5 मिनट बाद ही परिवादी के पार्टनर राकेश कुमार के मोबाइल नंबर + 919358022862 पर मोबाइल नंबर + 918969720364 से कॉल आया जिसने स्वयं को कामधेनु सरिया का एरिया सेल्स मैनेजर बताया और डीलरसीप लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, करेन्ट खाता संख्या मांगे जिस पर परिवादीगण ने कहा कि उनके पास जीएसटी नंबर और करण्ट खाता अभी नहीं है जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तो वे माल भेज देगे, जैसे ही खाता नंबर व जीएसटी नंबर उनके पास आ जाये तो वे उन्हें भेज दे जिसके बाद परिवादीगण का डीलर कोड ओपन हो जायेगा और फिर परिवादीगण को हमेशा माल कोड से मिलता रहेगा। परिवादी से अभी की डिमाण्ड मांगी और कहा कि वे 12 टन सरिया से कम माल नहीं भेजते है। फिर परिवादीगण ने 13 टन सरिया व एक टन वायर का ऑडर कर दिया व उसने परिवादी को व्हाटसअप नंबर + 918969720364 से व्हाटसअप नंबर + 919358022862 पर 6,70,750/– रूपये का बिल भेजा और कहा कि बिल में दी गयी फर्म KAMDHENU LIMITED GSTIN: 08AAACK7155M1Z5 A–1112, A–1114, PHASE–III, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHIWADI, BHIWADI ALWAR RAJASTHAN 301019 MOBILE: + 91 8969720364, EMAIL: sels@kamdhenusteelltd.com बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता संख्या 60544126507 IFSC CODE MAHB0001485 शाखा भिवाडी राजस्थान में बिल में आयी हुई राशि 6,70,750/– किसी करण्ट खाते से डाल दो। पैसे डालते समय खाता धारक का नाम Raj kumar enterprises लिखना। परिवादीगण के पास करण्ट खाता नहीं होने के कारण परिवादी ने अपने दोस्त विजय सिंह की फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज के AXIS Bank के खाता संख्या 924020044793703 से जरिये चैक नंबर 101837 दिनांक 20.02.2026 को 6,70,750/– रूपये बताये खाता संख्या में जमा करा दिये जिस पर उन्होंने कहा कि दिनांक 22.02.2026 को परिवादीगण का माल पहुंच जायेगा। दिनांक 21.02.2026 को करीबन सुबह 11.00 बजे कॉल करने पर बताया गया कि परिवादीगण का माल किसी वजह से लोड नहीं हुआ है व अन्य व्यक्ति ने बात की और कहा कि परिवादीगण का माल कम है। कम से कम परिवादीगण को 25 टन माल खरीदना पड़ेगा व आप 12 टन का ऑर्डर और कर दीजिए। लेकिन परिवादीगण ने 12 टन माल ऑडर करने में असमर्थता जताई तो उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर 2 लाख 4 हजार रूपये जमा कराने

को कहा तो परिवादीगण ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि आप 50 हजार ही जमा करा दो नहीं तो आपका माल नहीं आयेगा और जो आपने पैसे दिये है वो भी वापस नहीं होगें। फिर परिवादीगण को लगा कि वह व्यक्ति परिवादीगण के साथ साइबर फ्रोड कर रहा है तथा उनसे और पैसे की ठगी करना चाह रहा है जिस पर परिवादीगण ने साइबर पोर्टल पर शिकायत कर दी, जिसके Acknowledgement Number 327022600017655 है ... इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना साईबर क्राईम, सवाई माधोपुर पर एफ.आई.आर. नम्बर 04/2026 धारा 318(4), 319(2), 61(2)(b) BNS & 66C, 66D IT Act में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया व दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी की ओर से श्री राधेश्याम जोगी, चीफ एलएडीसी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण पूरी तरह झूठा है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया। वह दिनांक 12.05.2026 से अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निस्तारण में देरी सम्भावित है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अन्वेषण के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–319(2), 318(4), 336(3), 338(2), 340(2), 61(2)(b) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66C, 66D आईटी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी व अन्य ने सरिया बिक्री के सम्बन्ध में स्वयं को कामधेनू सरिया से सम्बन्धित बताते हुए परिवादी से 6,70,750/– रूपये छल करके खाते में डलवा लिये। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिस खाते में राशि जमा हुई है वह प्रार्थी का ही पाया गया है। अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्य से प्रार्थी की हस्तगत प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सक्रिय संलिप्तता स्पष्ट होती है। वर्तमान में इस प्रकार ऑनलाईन फ्रॉड की बाढ़ आई हुई है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर पूर्ण मनन करने एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते

हुए प्रकरण के गुण-दोष पर विस्तृत टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार पुत्र राम सिंगार पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र तहत धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर

9. आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर